1	2	3
3.	1993	सरस्वती विहार
4.	1993	शालीमार बाग
5.	1994	शालीमार बाग
6.	1994	शालीमार बाग
7.	1994	सफदरजंग एन्क्लेव
8.	1994	—वही—

उत्पाद का नाम	खाद्य अपमिश्रण और निवारण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई
4	5
1. अंडे, नूडल्स	सुपर बाजार को चेतावनी दी गई।
2. साबुत काली मिर्च	नमूना ठीक पाया गया।
3. सौंफ लखनवी	मामले पर कार्यवाही की जा रही है।
4. चाट मसाला	मामला न्यायालय में है।
5. साबुत काली मिर्च	मामले पर कार्यवाही की जा रही है
6. राई साबुत	नमूना ठीक पाया गया।
7. चाय	नमूना ठीक पाया गया।
8. पीनट कुकीज	नमूना ठीक पाया गया।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग ने सूचित किया है कि सुपर बाजार की प्रत्येक शाखा से रेजना खाद्य वस्तुओं के नमूने लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में सुपर बाजार के खिलाफ दायर किये गये मामले

5797. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सुपर बाजार के खिलाफ दायर किये गये मामलों का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में सुपर बाजार के खिलाफ वर्ष-वार कितने-कितने मामले दायर किये गये थे;

(घ) इस समय सुपर बाजार के खिलाफ कुल कितने मामले लम्बित हैं; और

(ङ) उन लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किये गये हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में सुपर बाजार के विरुद्ध दायर किए गए मामलों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	दायर मामलों की संख्या
1993	शून्य
1994	3
1995 (अब तक)	2

(घ) इस समय तीन मामले अनिर्णीत पड़े हैं।

(ङ) ये मामले न्यायाधीन हैं और उपभोक्ता मंच में सुपर बाजार द्वारा इनके बारे में पैरवी की जा रही है।

विवरण

विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सुपर बाजार के खिलाफ दायर किये गये मामलों का मूल्यांकन संबंधी विवरण

अनिर्णीत मामले

1. **अब्दुल रजिया बनाम सुपर बाजार**

उपर्युकत मामला, सुपर बाजार के विरुद्ध 4.10.94 को दायर किया गया था। इस मामले के तथ्य ये हैं कि एक उपभोक्ता ने सुपर बाजार की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान शाखा से

8.9.93 को "एलकेरान" नामक एक दवाई खरीदी थी। आरोप है कि खरीदी गई दवाओं की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। सुपर बाजार के कथनानुसार उक्त दवाई ग्राहक को अनजाने में बेची गई थी क्योंकि अवधि समाप्त होने की तारीख स्पेनी भाषा में लिखी हुई थी। मामला लम्बित है और उसके लिए 7 जुलाई, 1995 की तारीख नियत की गई है।

2. विनोद शर्मा बनाम सुपर बाजार

यह शिकायत सुपर बाजार के विरुद्ध एक एरिस्टोक्रेट ब्रीफ केस को मौजूदा बाजार मूल्य से कथित रूप से अधिक मूल्य पर बेचे जाने के लिए की गई है। सुपर बाजार के कथनानुसार उक्त ब्रीफकेस कम्पनी द्वारा सुझाए गए खुदरा मूल्य पर बेचा गया था और लिया गया मूल्य पूरी तरह से विनिर्माता के नीतिगत ढांचे के अनुसार था। मामला अभी अनिर्णीत है और अगली तारीख 12.9.1995 है।

3. श्रीमती मिनाति मंजूरी मातृ बनाम इंडस्ट्रियल इंडिया लि॰ और सुपर बाजार

उपर्युक्त शिकायत, शिकायतकर्ता द्वारा मार्च, 1995 में दायर की गई थी, जिसमें सुपर बाजार को एक पक्ष बनाया गया है। संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि शिकायतकर्ता द्वारा सुपर बाजार की एक शाखा से लेक्टोजेन-II का एक कि॰ ग्रा॰ का टीन खरीदा गया था और उसमें कथित रूप से कृमि एवं कीड़े थे। सुपर बाजार के कथनानुसार उक्त मद मैं॰ नैस्ले इंडिया लि॰ द्वारा विनिर्मित थी और बिक्री के लिए तैयार एक पैकशुदा मद थी। सुपर बाजार का उत्पाद की गुणता से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उसे न तो सुपर बाजार द्वारा विनिर्मित किया गया है और न ही पैक किया गया है। यह मामला उपभोक्ता मंच के समक्ष सुनवाई के लिए 5.9.95 हेतु नियत किया गया है।

निर्णीत मामले

1. आर॰ डी॰ गोयल बनाम सुपर बाजार

शिकायत के तथ्य ये हैं कि शिकायतकर्ता ने अप्रैल, 1994 के महीने में सुपर बाजार के घड़ियों के काउंटर से एक एच॰ एम॰ टी॰ घड़ी खरीदी थी और उक्त घड़ी कथित रूप से खराब थी। उपभोक्ता ने घड़ी बदलने के लिए सुपर बाजार से कहा परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। सुपर बाजार के कथनानुसार उक्त घड़ी एच॰ एम॰ टी॰ लि॰ द्वारा विनिर्मित थी और गारंटी केवल घड़ी की मरम्मत करने के बारे में दी गई थी, बदलने के लिए नहीं। उपभोक्ता को सलाह दी गई कि वह एच॰ एम॰ टी॰ लि॰ के समीप के किसी अधिकृत केन्द्र से संपर्क करें परन्तु उसने इसके बजाय उपभोक्ता मंच में शिकायत कर दी। यह मामला, शिकायतकर्ता द्वारा मामले पर आगे कार्रवाई न किए जाने के कारण 4.9.94 को रद्द कर दिया गया था।

2. सतीश कुमार वर्मा बनाम सुपर बाजार

उपर्युक्त शिकायत श्री सतीश वर्मा, जो व्यवसाय से पत्रकार हैं, द्वारा 12.5.94 को सुपर बाजार के विरुद्ध दायर की गई थी। मामले के संक्षेप में तथ्य ये हैं कि मैं॰ मैरिस इंडस्ट्रीज लि॰ की स्वीकार तेल (5 लीटर का आधान) की बिक्री प्रोत्साहन स्कीम के तहत सुपर बाजार ने एक खुदरा विक्रेता के रूप में उपभोक्ता को केवल 24/- रु॰ मूल्य का निःशुल्क उपहार दिया जबकि मैं॰ मैरिस इंडस्ट्रीज लि॰ द्वारा विज्ञापित स्कीम में निःशुल्क उपहार 25/- रु॰ मूल्य का था।

उक्त शिकायत वापिस लिए जाने के रूप में 6.1.95 को रद्द कर दी गई।

Revision in Rates of Minimum Wages for Super Bazar Workers

5798. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have taken any measures to revise the rates of minimum wages for the Super Bazar workers and also for the sales sector at the central sphere during the last three years;

(b) whether Government have received any representations in this regard from the employees union; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI BUTA SINGH): (a) There are no daily